पत्र सं0-से0वा0अनु0-2017-18 /

/ वाणिज्य कर
कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0
(सेवावाद-अनुभाग)
लखनऊ / दिनांक / 10 / जुलाई,2017

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
एडीशनल कमिश्नर (उ0न्या0कार्य) वाणिज्य कर, इलाहाबाद / लखनऊ।
अपर निदेशक वाणिज्य कर प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ।

मा0 उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा अधिकरण द्वारा सेवा-संबंधी विभिन्न प्रकरणों में पारित निर्णयों की समीक्षा करने पर कतिपय प्रक्रियात्मक त्रुटियों के दृष्टिगत मा0 अधिकरण के समक्ष विभाग का पक्ष प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जाना सम्भव नहीं हो पाता है। अतः विभाग द्वारा की जाने वाली अनुशासनात्मक कार्यवाही / जॉच कार्यवाही तथा दण्डादेश दिये जाने आदि में निम्न निर्देशों का पालन किया जाना अपेक्षित होगा, ताकि मा0 अधिकरण के समक्ष विभाग का पक्ष प्रभावी तरीके से प्रस्तुत किया जा सके।

1- उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक नियमावली-1995 के नियम-4 के अनुसार विनिर्दिष्ट अवधि में याची के प्रत्यावेदन का निस्तारण किया जाना अनिवार्य है। यदि सक्षम अधिकारी विनिर्दिष्ट अवधि में प्रत्यावेदन का निपटारा करने में असमर्थ हो तो वह इस संबंध में अपने उच्चतम अधिकारी को रिपोर्ट करेगा, जो विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रत्यावेदन के निपटारे को सुनिश्चित करने के लिए आदेश पारित करेगा।

2- पारित दण्डादेश सकारण एवं मुखरित होना अनिवार्य है। याची द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण / प्रत्यावेदन में लिखित समस्त तथ्यों / बिन्दुओं पर विधिवत् विचारण कर उसके स्पष्टीकरण को स्वीकार / अस्वीकार करने के कारण अंकित कर स्पष्ट निष्कर्ष दिया जाना बाध्यकारी है।

3- उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक नियमावली-1995 के नियम-4(1) में निर्धारित समय-सीमा के अंतर्गत प्रतिकूल प्रविष्टि/विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि की तामीली याची पर किया जाना अनिवार्य है। प्रविष्टि अंकित करने तथा तामील कराये जाने के संबंध में प्रशासकीय निर्देश एवं शासनादेश बाध्यकारी है।

4- उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999 के नियम-7 के अनुसार जॉच अधिकारी द्वारा तिथि, समय, स्थान निश्चित करते हुए याची को सुनवाई तथा साक्ष्यों/गवाहों के प्रतिपरीक्षण का अवसर दिया जाना अनिवार्य है।

5- उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999 के नियम-9(4) के अनुसार दण्डादेश पारित करने के पूर्व याची को जॉच आख्या प्रेषित करते हुए अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जाना अनिवार्य है।

6- यदि अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा जॉच अधिकारी से भिन्न मत अपनाया जाता है तो अनुशासनिक अधिकारी द्वारा जॉच अधिकारी के निष्कर्षो से असहमत होने के कारणों का उल्लेख करते हुए याची को नोटिस जारी करना तथा व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान करना अनिवार्य है।

7- दीर्घ दण्ड अधिरोपित किये जाने की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999 के नियम-7 के अनुसार तथा लघु दण्ड अधिरोपित किये जाने की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999 के नियम-10 के अनुसार किया जाना बाध्यकारी है।

8- जॉच अधिकारी द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही से सम्बन्धित शासनादेशों का विधिवत् अध्ययन कर, नियमानुसार समुचित कार्यवाही समयान्तर्गत सुनिश्चित की जाए, ताकि नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

ह0-
(मुकेश कुमार मेश्राम)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

श्री रंजन
11/07/2017
CTO (JT)

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि- 1- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर उत्तर प्रदेश शासन को अपर मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।

2- समस्त अनुभाग अधिकारी वाणिज्य कर, मुख्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

3- ज्वाइन्ट कमिश्नर (आई0टी0) वाणिज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

07-07-2017

(लक्ष्मी कान्त त्रिपाठी)
ज्वाइन्ट कमिश्नर (सेवावाद) वाणिज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ।